मदुरै में पुलिस हिरासत में ट्रक चालक की मौत: तीन पुलिसकर्मी निलंबित, न्यायिक जाँच के आदेश



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

तमिलनाडु के **मदुरै** में 3 नवंबर को इलायची से भरे ट्रक में आग लगने के मामले की जाँच के दौरान **चेक्कानूरानी पुलिस स्टेशन** की हिरासत में ट्रक चालक **आर. बालकृष्णन** की मौत हो गई। 14 नवंबर की सुबह करीब 6 बजे वह थाने के शौचालय में बेहोश मिला; बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस का दावा आत्महत्या का है, लेकिन यह अभी सत्यापित नहीं है - घटना ने हिरासत में मौतों और पुलिस जाँच-प्रक्रिया के सवाल फिर उठा दिए हैं।

मामले की प्रमुख बातें

- **घटनाक्रम:** 3 नवंबर को इलायची से भरा ट्रक जल गया; जाँच के लिए चालक बालकृष्णन को चेक्कानूरानी थाने लाया गया। 14 नवंबर सुबह वह शौचालय में बेहोश पाया गया और उसकी मौत हो गई।
- **कार्रवाई:** इंस्पेक्टर मुथु समेत तीन पुलिसकर्मियों (एक इंस्पेक्टर, दो हेड कॉन्स्टेबल) को **निलंबित** किया गया; **न्यायिक जाँच (judicial inquiry)** के आदेश दिए गए और मामला **CB-CID** को सौंपा गया।
- **विवादास्पद बिंदु:** पुलिस ने आत्महत्या की बात कही, पर आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है - पोस्टमॉर्टम और न्यायिक जाँच की रिपोर्ट आना बाकी है।

हिरासत में मौत: कानूनी और संवैधानिक ढाँचा

- **संविधान:** अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी से संरक्षण); किसी भी हिरासती की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होती है।
- **DK Basu बनाम पश्चिम बंगाल (1997):** सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश - गिरफ्तारी-मेमो, रिश्तेदार को सूचना, चिकित्सा परीक्षण, पुलिसकर्मियों की पहचान-पट्टिका आदि अनिवार्य; उल्लंघन अदालत की अवमानना है।

- **CRPC धारा 176(1A) (अब BNSS):** पुलिस हिरासत में मौत या बलात्कार के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच अनिवार्य है।
- **NHRC दिशानिर्देश:** हिरासत में प्रत्येक मौत की सूचना 24 घंटे के भीतर मानवाधिकार आयोग को देना अनिवार्य; आयोग स्वतः संज्ञान ले सकता है।
- **निलंबन बनाम दंड:** निलंबन प्रशासनिक कदम है; दोषी पाए जाने पर IPC/BNS और पोक्सो-जैसे विशेष कानूनों के तहत अभियोजन अलग प्रक्रिया है।

व्यापक सवाल

एनसीआरबी (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि पुलिस हिरासत में मौतें हर साल दर्ज होती हैं, लेकिन दोषसिद्धि की दर बेहद कम है। मुख्य कारण - जाँच उसी विभाग के अधिकारियों द्वारा, साक्ष्यों का नष्ट होना और गवाहों पर दबाव। सुधार के सुझावों में स्वतंत्र जाँच एजेंसी, CCTV की अनिवार्यता (परमवीर सिंह बनाम बलजीत सिंह, 2020 - सर्वोच्च न्यायालय ने थानों में CCTV लगाने के आदेश दिए), और न्यायिक जाँच की समय-सीमा शामिल हैं।

> **संबंधित लेख:** पुलिस मुठभेड़ और विधि का शासन: कानूनी सीमाएँ

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. पुलिस हिरासत में मौत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. CRPC की धारा 176(1A) के अनुसार हिरासत में मौत की न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच अनिवार्य है

2. DK Basu मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी संबंधी दिशानिर्देश जारी किए

3. हिरासत में मौत की सूचना NHRC को 72 घंटे के भीतर देनी होती है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

▶ उत्तर और व्याख्या

प्रश्न 2. थानों में CCTV कैमरे लगाने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश किस मामले से जुड़े हैं?

(a) DK Basu बनाम पश्चिम बंगाल
(b) परमवीर सिंह बनाम बलजीत सिंह
(c) केदार नाथ सिंह बनाम बिहार
(d) प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ

▶ उत्तर और व्याख्या

मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

पुलिस हिरासत में मौतें कानून के शासन और नागरिक विश्वास पर सीधा प्रहार हैं। मदुरै घटना के संदर्भ में कारणों, कानूनी उपायों और सुधार के मार्ग की समीक्षा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए - 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: मदुरै में चालक की हिरासती मौत और निलंबन-न्यायिक जाँच की कार्रवाई; समस्या का व्यापक स्वरूप।

मुख्य भाग में:

- **कारण:** तृतीय-दर्जे की जाँच पद्धति, कम दोषसिद्धि, विभागीय जाँच, साक्ष्य-नष्टीकरण।
- **कानूनी ढाँचा:** अनुच्छेद 21/22, DK Basu दिशानिर्देश, CRPC 176(1A)/BNSS, NHRC निगरानी, CCTV आदेश (परमवीर सिंह)।
- **सुधार:** स्वतंत्र जाँच एजेंसी, वैज्ञानिक जाँच-प्रणाली, पुलिस सुधार (प्रकाश सिंह मामला), समयबद्ध न्यायिक जाँच, क्षतिपूर्ति तंत्र।

निष्कर्ष में: हिरासत में सुरक्षा राज्य का अविभाज्य दायित्व है; जवाबदेही के बिना विधि का शासन अधूरा रहता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: मदुरै में एक ट्रक चालक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई; तीन पुलिसकर्मी निलंबित, न्यायिक जाँच और CB-CID जाँच जारी है - पुलिस के आत्महत्या के दावे की पुष्टि नहीं हुई है।

प्रश्न: मदुरै हिरासती मौत मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई?

इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित किए गए, न्यायिक जाँच के आदेश दिए गए और मामला CB-CID को सौंपा गया; पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और न्यायिक जाँच का इंतज़ार है।

प्रश्न: DK Basu मामले के दिशानिर्देश क्या हैं?

गिरफ्तारी-मेमो तैयार करना, रिश्तेदार को सूचना, गिरफ्तारी के समय चिकित्सा परीक्षण, पुलिसकर्मियों की पहचान-पट्टिका, हिरासत-कक्ष में अधिकारों की सूची - उल्लंघन अदालत की अवमानना है।

प्रश्न: पुलिस हिरासत में मौत की जाँच कौन करता है?

CRPC धारा 176(1A) के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच अनिवार्य है; साथ ही NHRC को 24 घंटे में सूचना देनी होती है और राज्य सरकार CB-CID/CBI जैसी स्वतंत्र एजेंसी को मामला सौंप सकती है।

स्रोत

- Indian Express: इलायची-ट्रक में आग, पुलिस पूछताछ की रात चालक की मौत - मदुरै, 14 नवंबर 2026